हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग ।

संख्याः टी.पी.टी.-ए (3)-3/2015 तारीख शिमला-2, 06.12.2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या जी.ए.डी. (सी सी)5-2/71-एल, तारीख 04-09-2020 द्वारा परिहवन विभाग को यात्री और माल कर के प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-सी (9)-6/2004, तारीख 09-01-2006 के अनुक्रम में आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए, समस्त निम्नलिखित परिवहन यानों पर राज्य सरकार को "यात्री और माल कर" के बदले "विशेष पथ कर (एस आर टी)" निम्नवर्णित दरों पर उद्गृहीत, प्रभारित और संदत्त किया जाएगाः-

"क्रम संख्या	परिवहन यान का विवरण	
1. संविदा गड़ियां		
(क) बसें	(i) साधारण संविदा गाड़ी बस	40 प्रतिशत किराया जमा 20 प्रतिशत अधिभार प्रतिसीट प्रति किलोमीटर की दर से
	(ii) डिलक्स/एसी संविदा वाहन (गाड़ी) बस	
(ख) मैक्सी कैब	(i) 7-8 सीट वाली मैक्सी कैब (चालक को छोड़कर)	₹5350/-प्रतिवर्ष
	(ii) 9-12 सीट वाली मैक्सी कैब (चालक को छोड़कर)	₹8000/-प्रतिवर्ष
(ग) टैक्सी कार या जीप	छह सीट तक वाली टैक्सी कार या जीप (चालक को छोड़कर)	
	(क) 1000 सीसी तक की कार/यान	₹ 1350/-प्रतिवर्ष
	(ख) 1000 सीसी से ऊपर और 1500 सीसी तक की कार/यान	₹ 2400/-प्रतिवर्ष
	(ग) 1500 सीसी से ऊपर की कार/यान	₹2800/-प्रतिवर्ष
(घ) ऑटो रिक्शा	ऑटो रिक्शा	₹363/-प्रतिवर्ष
2. प्राइवेट सेवा यान		
	(i) मिनीं बसें (चालक और परिचालक को छोड़कर 30 सीट तक)	₹6000/-(एस/सी(अधिभार) 1200/-) प्रतिवर्ष
	(ii) बड़ी बसें (30 सीट से ऊपर)	₹7500/- + (अधिभार रू0 1500/-) प्रतिवर्ष
3. अन्य राज्यों मे रजिस्ट्रीकृत और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली संविदा गाड़ी से अन्यथा बसें		
	साधारण सेवा	किराए का 40 प्रतिशत जमा 20

	सेमी डीलक्स सेवा	प्रतिशत अधिभार प्रतिसीट प्रति किलोमीटर की दर से
	डीलक्स बस सेवा	
	वतानुकूलित बस सेवा	
4. माल गाड़ी		
(क)	I 120 क्विंटल से ऊपर (दस से अठारह टायर)	₹10000/–प्रतिवर्ष
	II 30 से 120 क्विंटल (छह टायर)	₹6000/–प्रतिवर्ष
(ख)	20 से 30 क्विंटल	₹ 3000/–प्रतिवर्ष
(ग)	10 से 20 क्विंटल	₹2000/–प्रतिवर्ष
(घ)	10 क्विंटल से कम	₹ 1000/–प्रतिवर्ष
(ङ)	ट्रैक्टरः (अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक जब वे ऐसा माल वहन कर रहें हों जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक न हो)	₹ 2000/–प्रतिवर्ष
5. अन्य राज्यों की माल गाड़ियॉं जो राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आती है।		
(क)	I 120 क्विंटल से ऊपर (दस से अठारह टायर)	₹10000/–प्रतिवर्ष
	II 30 से 120 क्विंटल (छह टायर)	₹ 6000/–प्रतिवर्ष
(ख)	20 से 30 क्विंटल	₹ 3000/–प्रतिवर्ष
(ग)	10 से 20 क्विंटल	₹ 2000/–प्रतिवर्ष
(घ)	10 क्विंटल से कम	₹ 1000/–प्रतिवर्ष
(ङ)	ट्रैक्टरः (अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक जब वे ऐसा माल वहन कर रहें हों जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक न हो)	₹2000/–प्रतिवर्ष

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि यात्री और माल कर के बदले उद्गृहित या प्रभारित किया जाने वाला विशेष पथ कर अग्रिम रूप में संदेय होगा और कर के संदाय और घोषणा के प्रदाय का समय दी हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैकशेसन रूल्ज, 1974 के रूल 4 के अनुसार होगा।

कर के संदाय में विलम्ब की दशा में, शास्ति उक्त नियमों के नियम 4–क के अन्तर्गत प्रभारित की जाएगी और उपरोक्त यानों के मामले में उक्त नियमों में प्रत्येक मास की 16 तारीख को शास्ति (जुर्माने) की गणना का उपाबन्ध लागू नहीं होगा। तथापि, संविदा गाड़ी बसों के मामले में प्रचालक (ऑपरेटर) प्रत्येक मास की 15 तारीख से पहले अंतिम निर्धारण के आधार पर मासिक औसत रकम (राशि) जमा करेगा और तत्पश्चात् आगामी तिमाही के प्रथम मास की 15 तारीख तक कराधान प्राधिकरण (संबंधित आर टी ओ) को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा। विलंब की दशा में

शास्ति उक्त नियमों के नियम 4–क में यथाउपबन्धित के अनुसार प्रत्येक मास की 16 तारीख को संगणित की जाएगी।

इस बावत प्राप्त संदायों को हिमाचल प्रदेश के सरकारी कोष में राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम के अधीन प्राप्तियां मुख्य शीर्ष "0041वाहनों पर कर" लघु शीर्ष "102, उप शीर्ष (i) "ओ एस– विशेष पथ कर" (ii) 06– विशेष पथ कर पर शास्ति" के अधीन जमा किया जाएगा और संदाय के टोकन में प्राप्त कोशागार चालान कराधान प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

नए रजिस्ट्रीकृत यानों के संबंध में यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। हिमाचल प्रदेश यात्रियों और सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में कराधान विभाग अग्रिम में 31 दिसंबर, 2021 तक यात्री और सामान पर कर का संग्रहण करेगा और 01.01.2022 से यात्री और सामान पर कर का संग्रहण करना बन्द करेगा तथा ऐसे प्रचालको (ऑपरेटरों) के पक्ष में अनापत्ति और कर समाशोधन (एन ओ टी सी) प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि साथ–साथ ही परिवहन विभाग 1 जनवरी, 2022 से समस्त पात्र यानों के स्वामियों से विशेष पथ कर का संग्रहण करना आरंभ कर सके। यदि किसी प्रचालक (ऑपरेटर) ने सम्पूर्ण वर्ष के लिए यात्री और सामान पर कर (पी जी टी) का संदाय कर दिया है, तो वह भी आबकारी एवं कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) को परिवहन विभाग के सम्बन्धित कराधान प्राधिकारी के पास जमा करने पर "विशेष पथ कर" संदाय, करना भी आरंभ कर सकते हैं।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि । तारीख शिमला–2, 06.12.2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्य कर एवं आबकार), हिमाचल प्रदेशा सरकार, शिमला–2।
4. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
6. आयुक्त, राज्य कर एवं आबकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।
7. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
9. निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश शिमला–4।
10. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–3।

11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसका व्यापक प्रचार करें और इसे कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं।
12. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारण हिमाचल प्रदेश शिमला–4।
13. निजी सचिव, मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2।
14. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
15. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि–राजभाषा),हिमाचल प्रदेश सरकार।
16. समस्त उप मण्डल अधिकारी (आर एल एज़) हिमाचल प्रदेश।
17. गार्ड नस्ति।

(प्यारे लाल मास्टा)
अवर सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-A(3)-3/2015, dated 06-12-2021 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport
*****

No. TPT-A(3)-3/2015 **Dated Shimla-2, the 06th December, 2021.**

NOTIFICATION

Consequent upon the transfer of the Administrative Control of the Passenger and Goods Tax to the Transport Department vide Government notification No. GAD (CC)5-2/71-L, dated 04.09.2020, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-A of Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act 1972(Act 4 of 1973), in continuation of this Department's notification No. TPT-C(9)-6/2004, dated 09.01.2006, is pleased to order that "Special Road Tax (SRT)" in lieu of Passenger and Goods Tax shall be levied, Charged and paid to the State Government on all the following Transport vehicles used or kept for use, in Himachal Pradesh at the rates mentioned below:-

S. No.	Description of Transport Vehicle	
1. CONTRACT CARRIAGES		
(a) Buses	(i) Ordinary Contract Carriage Bus	@40% of fare+20% surcharge per seat per kilometer.
	(ii) Deluxe/AC Contract Carriage Bus	
(b) Maxi Cab	(i). Maxi Cabs having Seats between 7- 8(excluding Driver)	Rs. 5,350/- Per annum
	(ii). Maxi Cabs having Seats between 9- 12(excluding Driver)	Rs. 8,000/- Per annum
(c) Taxi Cars or Jeeps	Taxi Cars or jeep upto Six seats (excluding Driver)	
	(a)Car/ Vehicle upto 1000CC.	Rs. 1,350/- Per annum
	(b)Car/ Vehicle above 1000CC and upto 1500 CC.	Rs. 2,400/- Per annum
	(c) Car/ Vehicle above 1500CC.	Rs. 2,800/- Per annum
(d) Auto Rickshaw	Auto Rickshaw	Rs. 363/- Per annum
2. Private Service Vehicles		
	(i) Mini Buses (upto 30 seater excluding driver& conductor)	Rs.6,000/- +(S/C Rs. 1200/-) Per annum
	(ii) Big Buses (above 30 seater)	Rs. 7,500/- + (S/C Rs. 1500/-)Per annum
3. **Buses other than Contact Carriages registered in other State and enter in Himachal Pradesh.**		

	Ordinary Service	@40% of fare+20% surcharge per seat per kilometer.
	Semi Deluxe Services	
	Deluxe Bus Services	
	Air Conditioned bus services	
4. Goods Carriages		
(a)	I. Above 120 quintals (Ten to eighteen tyres)	Rs.10,000/- Per annum
	II. Between 30 to 120 quintals (Six tyres)	Rs. 6,000/- Per annum
(b)	Between 20 and 30 quintals	Rs. 3,000/- Per annum
(c)	Between 10 and 20 quintals	Rs. 2,000/- Per annum
(d)	Less than 10 quintals	Rs. 1,000/- Per annum
(e)	Tractors (Plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	Rs. 2,000/- Per annum
5. Goods Carriages of other State not covered under National permit		
(a)	I. Above 120 quintals (Ten to eighteen tyres)	Rs.10,000/- Per annum
	II. Between 30 to 120 quintals (Six tyres)	Rs. 6,000/- Per annum
(b)	Between 20 and 30 quintals	Rs. 3,000/- Per annum
(c)	Between 10 and 20 quintals	Rs. 2,000/- Per annum
(d)	Less than 10 quintals	Rs. 1,000/- Per annum
(e)	Tractors (Plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	Rs. 2,000/- Per annum

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the Special Road Tax in lieu of Passenger and Goods Tax to be levied or charged shall be payable in advance and time for payment of tax and delivery of declaration shall be as per rule 4 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Rules, 1974.

In case of delay in payment of tax, penalty shall be charged under rule 4-A of the said rules and the provision of computing penalty on the 16th day of every month in said rules shall not be applicable in case of the above vehicles. However, in case of Contract Carriage buses the operator will deposit average amount monthly on the basis of last assessment before the 15th of each month and further submit quarterly return to the taxation authority (RTO concerned) by 15th of next quarter of first month. In case of delay penalty shall be computed on the 16th day of every month as provided in rule 4-A of the said rules.

The payments received on this account shall be deposited into Government Treasury under Himachal Pradesh under Major Head "0041— Taxes on Vehicles" Minor Head "102-Receipts under the State Motor Vehicles Taxation Act" Sub-Heads (i) "OS-Special Road Tax" (ii) "06-Penalty on Special Road Tax" and the treasury challan received in token of the payment shall be sent to the Taxation Authority.

This notification in respect of newly registered vehicles shall come into effect from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), HP. In case vehicles already registered under The Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act, 1955, Department of Excise shall collect advance Passengers and Goods Tax till 31st December, 2021 and stop collecting Passenger and Goods Tax from 01.01.2022 and issue No Objection and Tax Clearance (NOTC) certificate in favour of such operators so that simultaneously Department of Transport could start collecting Special Road Tax from all owners of vehicles from 1st January, 2022. In case of operators who have paid PGT for the whole year can also start paying Special Road Tax with the Department of Transport on production of NOC issued by the Excise and Taxation Authority to the concerned taxation authority.

By Order

Jagdish Chander Sharma
Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As Above. Dated Shimla-2, the 06-12- 2021.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Additional Chief Secretary(State Tax & Excise) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The L.R.-cum-Principal Secretary(Law)to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
5. All Head of the Departments, Himachal Pradesh.
6. The Commissioner, State Tax & Excise, Himachal Pradesh, Shimla-9.
7. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
8. All Divisional Commissioners, Himachal Pradesh.
9. The Director of Transport, HP, Parivahan Bhawan, Shimla-4.
10. The Managing Director, Himachal Road Transport Corporation, Shimla-3.
11. The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh with a request to make wide publicity.

12. Secretary, State Transport Authority, Himachal Pradesh, Shimla-4.
13. Private Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
14. All SDOs(RLAs) in Himachal Pradesh.
15. ALR-cum-Under Secretary(Law)to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
16. All RTO/RLAs in Himachal Pradesh.
17. Guard File.

(Pyare Lal Masta)
Under Secretary(Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph : 0177-2880384